भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2835

(जिसका उत्तर 03 अगस्त, 2018/12 श्रावण,1940 (शक) को दिया जाना है)

मध्यम अवधि परिवर्तित ऋण पर ब्याज राजसहायता

2835. श्री अर्जुनलाल मीणाः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार लघु अवधि ऋणों की तर्ज पर मध्यम अवधि परिवर्तित ऋणों पर ब्याज राजसहायता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)

(क) से (ग): "प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपाय" किए जाने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बैंकों को जारी मास्टर निदेशों के अनुसार, प्राकृतिक आपदा के घटित होने के समय बकाया ऋणों को छोड़कर सभी अल्पावधिक कृषि/फसल ऋण पुनर्संरचना के लिए पात्र हैं। प्राकृतिक आपदा के घटित होने वाले वर्ष में पुनर्भुगतान के लिए देय ब्याज के साथ-साथ अल्पावधि कृषि ऋण के मूलधन को सावधि ऋण में परिवर्तित किया जाना है।

किसानों को 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कम ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने को ध्यान में रखते हुए कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा 3.00 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सहायता योजना कार्यान्वित की जाती है। इस योजना में बैंकों को अपने संसाधनों का उपयोग करने पर 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता दी जाती है। इसके अलावा, ऋण का तत्परता से पुनर्भुगतान करने पर किसानों को 3 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे ब्याज की प्रभावी दर कम होकर 4 प्रतिशत हो जाती है।

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए उपर्युक्त ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत, पुनर्संरचित राशि पर प्रथम वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 2% की ब्याज सहायता उपलब्ध है। ऐसे पुनर्संरचित ऋणों पर आरबीआई द्वारा निर्धारित पॉलिसी के अनुसार दूसरे वर्ष से ब्याज की सामान्य दर लागू होगी।

*****